15.50 hrs.

LEGAL ASSISTANCE BILL

MR. DEPUTY SPEAKER: We now take up the Legal Assistance Bill. Dr. Karni Singh.

DR. KARNI SINGH (Bikaner): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise in support of my Bill No. 31, the Legal Assistance Bill, 1971.

Sir, in the past few years I have introduced several socialistic Bills in this hon. House; some of them beinga Bill to provide unemployment relief to those who could not be employed, a Bill for Compulsory and free primary education for children below 14 years and a Bill which was to support old age insurance and to take care of the infirm. All these Bills, in spite of being socialistic in character and in pursuance of the Fundamental Rights Chapter and the Directive Principles of the Constitution, were unfortunately, defeated in this hon. House. This Bill, I feel, is also in tune with the present trends in the country of ensuring social justice and bringing about a Welfare State. And I hope that this time the Godefeat this Bill vernment will not and will support it beacuse justice delayed is justice denied. I understand that the Government also have proposals for introducing such a Bill at a later stage.

We heard a great deal about garibi hatao slogans raised during the elections. and if a Bill that seeks to give free legal help to poor people whose income is below Rs. 2,400 a year is defeated in this House, then I will say that the assurances given to the people at the time of the polls were hollow assurances, merely to win votes. Therefore, I am quite sure that like those of us who are in the Opposition who want that this Bill be passed, Government also will come up in the same spirit and see that it receives the necessary support.

I think, a certain big-heartedness and departure has to come from the ruling party inasmuch as Opposition Members' Bills which are acceptable to the country at large should be passed in this House.

Sir, the Preamble of our Constitution speaks of economic and political justice to all citizens of India. Article 14 of the Constitution—Fundamental Rights—lays down that:

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws."

Article 22(1) which is also under Fundamental Rights Chapter provides for an arrested person the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice.

Article 38 envisages:

"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

Thus, as President Giri said on March 29, 1970, while inaugurating the Conference of the National Legal Aid Association, providing legal assistance to the poor is "an important and basic social commitment underlying the Constitution". None of the outstanding legal luminaries who spoke on that occasion supported the Law Minister, late Shri Govinda Menon, when he said that paucity of funds came in the way. Now, so much is said from time to time about giving the people of our country a better life, giving justice to all, and in spite of that, every time when a legislation is brought in this House, the Government defeats it on one plea that there is paucity of funds. I would like to ask the Government what they have done with the back-breaking taxes which they have imposed on the people of this country. With the help of that money, can they not redress

It is well known that the cost of litigation in India has become so prohibitive that all these Constitutional guarantees have become meaningless to a large number of people who are unable to obtain justice because they cannot afford to pay for it. The absence of any appropriate, free legal aid machinery deprives these needy people of the benefits and safeguards of the law. The need for legal assistance to the poor is so obvious that it hardly needs any argument on part. They cannot, of course, one law for the rich and another for the poor. But that actually is the effect when, in spite of the existence of an egalitarian law, the poor are unable to make use of it either in initiating proceedings or if proceedings have been initiated against them, in defending themselves. Inability to pay makes an equal law discriminatory in practice. Even though this discrimination is not so visible, its consequences are dangerous. It leads to utter frustration and a sense of bitterness and contempt against the established order. As Chief Justice Bhagwati of Gujarat High Court has observed, "... touches our legal institutions precisely in those areas where they are most volunerable to attack, and are being attacked." I would like to give a few more quotes to the hon. House.

Chief Justice Hughes of the United States has said that "It is idle to speak of the blessings of liberty unless the poor enjoy equal protection of the laws." The late Shri Kumaramangslam once remarked that the case of the poor coming to the court without a proper counsel was like their entering the lists in an unequal contest. The Indian Law Commission observed: "The fee charged is so excessive that the civil litigant seeking to enforce his legal rights pays not only the en-

tire cost for the administration, of civil justice but also the cost incurred by the State in prosecuting the criminals for crime, with which the civil litigant has no concern. Another authority has said that "Legal aid is not charity, but a right of all the needy citizens."

Therefore, in the interests of all the needy citizens, I have introduced this Bill and I hope that the Government will accept it in the spirit in which it has been brought. I would just say a few words about what this Bill exactly tries to seek. All those who have been given rights by law should be enabled to avail of those

rights. Otherwise, all the talk of socioeconomic changes becomes a mere hypocrisy. The various laws which confer so many rights on the diverse sections of the society must be made meaningful. Only then can the new social order emerge. Since, in our country these laws are not within the easy reach of a very large number of people for whom they are intended a machinery for assistance to there becomes a must. That is what this Bill seeks to create. The aim of this Bill is to make the de jure equality de facto. Legal assistance is an essential requirement of the social security programme of any welfare State and, as you know, we have professed from the house-tops that India is a welfare democracy and, therefore, this Bill is enacting a thing that has been protessed by the Government. It should, therefore, be the right of every litigant to be represented by s counsel in every case.

In India, the sid to the poor is on the State List of the Constitution but that can hardly justify non-action by the Centre. If this subject has been neglected by the States so far, it is because they are reluctant to incur extra expenditure. It would become easier for them to move in the matter if they are assured that at least half of the financial burden in this respect [Dr. Karan Singh.]

will be borne by the Central Government. The Parliament must provide for the statutory framework for this legal assistance.

Now, I understand that the Centre has offered to pay 50 per cent of the cost in case of prohibition. Similarly, I am sure that the Centre would be prepared to pay 50 per cent of the cost to the States for helping the litigants and providing legal aid free.

We must have a look at some of the other countries as to how the laws obtain there. During the last two decades, USA, UK Canada, Australia and all the European countries have made remarkable progress in organising an impressive system of legal aid. In Asia, Japan, Sri Lanka and Singapore have started legal aid programmes. The South American countries have generally made statutory provisions in this respect.

Legal aid in India is provided by private agencies and voluntary organi zations. The National Legal Association was also funded in March 1970, to set up a fund and organise legal aid to the poor. But, considering the vastness of the country, the largeness of its problems and the resources available to those organisation, their work is like a drop in the ocean. And I 'can say with a certain amount of pride that in my constituency, backward as the area may be considered the lawyers of that area have tried to provide free legal aid up to their means.

16.00 hrs.

So far as the Statute is concerned, all that we have is a provision in the Civil Procedure Code for proceedings in forma panperis. But this is no substitute for legal aid. A pauper according to the Civil Procedure Code of 1908 is a person who does not have sufficient means to pay the fees prescribed by law for the suit (which are as high as ten per cent.) or where no such fee is prescribed, he does not have property worth Rs. 100. And now Rs. 100 is hardly anything! The

proceedings in forma pauperis are vexatious and suffer from many restrictions and that is why a tiny-little country like Jamaica, which had a similar provision replaced the word pauper' by 'poor person'.

The civil suit expenses in our country as in any other democratic country are enormous. The expenses in the civil suit consist of court fees, lawyers' fees, cost of attending various hearings in the court, producing witnesses and obtaining copies of re cordings. Free legal aid to the very poor therefore becomes extremely essential.

I now wish to refer to the Bhagwati Committee's report. The Bhagwati Committee report produced in 1949 was the first useful study of this subject in India. One of its recommendations was that every lawyer should take at least three cases free in a year. Many useful recommendations have since been made, particularly, by the Central Law Commission, in their 14th Report in 1958. The Commission observed:

"Unless some provision is made for assisting the poor man for the payment of the court fees, lawyers' fees and other incidental costs of the litigation, he is denied equality of opportunity to seek justice."

The Commission recommended that the U.K. pattern as being best suited to India. Now, Sir, the UK pattern is worth studying. The British Act provides legal aid to the poor in all cases, civil and criminal. The aid is available to any person whose dispensable income does not exceed £420 per annum. A legal aid fund has been constituted by money provided by British Parliament. Lawyers helping the poor are paid out of this fund. The scale of fees are dependent upon the courts in which they appear. The Act also provides for legal advice on payment of fees. The scheme is administered by the Law Society. According to the legal profession in our country the British scheme could really be a model for India. All the

lawyers and solicitors participate in the system in England so that the poor client has as much freedom of choice as any other client. Another feature of the system in England is that each applicant contributes to the cost of litigation in proportion to his means. This substantially reduces the amount of the public funds neces-

sary to render legal aid.

The Advocates Act also has suggested something in our own country. One of the sugestions made in India on the subject was that the Advocates Act may be amended to enable the Bar to set aside funds for providing free legal aid to the poor. This was done in 1970. It is however said that the take-off stage of this scheme is not in sight so far. It has also been suggested that the Income-tax Act may be amended in order to give incentive to the lawyers who take up the cases of the poor without charge. that any voluntary aid given to the Legal Aid bodies should be free from Income-tax. These are suggestions which Government must favourably consider.

A very good suggestion was made by Mr. Chagla sometime back. He said that as the State made a great deal of profit from court fees and litigations there could be a cess whereby a part of this money should be utilised for legal aid to the poor. However, without the State coming forward to contribute to the creation and execution of such fund, nothing substantial could be achieved.

There have been some pronouncements made in this honourable House by Ministers. I would just briefly refer to them.

In May 1972, the Law Minister told the Lok Sabha that a comprehensive scheme would soon be prepared for rendering legal aid to the poor. In November, 1972, a Committee was appointed by the Centre specially to go into the question of legal aid to the poor headed by Chief Justice V. R. Krishna Iyer.

The Committee submitted its report quite some time ago. It is reported to have made useful suggestions on giving legal assistance to the working-class, peasantry scheduled castes and scheduled troes, women and children etc. Government have released only a brief summary of this report, as far as I know.

On February 28, 1973, the Minister of State for Law said in the Raiya Sabha that the Government proposed to bring forward a Bill incorporating a comprehensive scheme for legal aid to the poor. Again in March 1973, we were told that in this coming session the Bill would be introduced. session would also pass and even in the coming session it is possible that the Bill may not be ready. I would request that to-day, when the hon. Minister replies, he would tell the nation as to when exactly the socialistic Bill proposed to be introduced by Government will be brought before the House.

I think I have said whatever I can without any broad or basic knowledge of law in support of my Bill. I am quite sure that there would be other Members in this House—who would say that this is a very important matter which touches the millions of poor people in our country to whom virtually justice is denied only because they are too poor.

Therefore, I conclude with my remarks and hope that my Bill would be taken into consideration by the hon, House and passed. Sir, I move.*

"That the Bill to provide for legal assistance in civil suits to citizens without adequate means, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to provide for legal assistance in civil suits to citizens without adequate means, be taken into consideration."

^{*}Moved with the recommendation of the President.

SHRI GADADHAR SAHA (Birbhum): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the Bill which is before the House. Free legal aid is one of the necessary obligation of a welfare State. But, our Government's attitude towards this fundamental right of a free citizen to free legal aid is one of Big assurance and inindifference. adequate attempt to provide the Bill are the result. At the roof of this altitude lies the Government's failure to be convinced that legal assistance is the Government's duty to provide. It is true that the limitation of funds is not all. Limitation of funds above is not a reasonable explanation at all against the introduction of this Bill by this Government. This Government should have brought before this House this Bill. But, this Bill was not brought forward as yet in spite of the recommendations of the Law Commission for a comprehensive provision for legal assistance to those who do not have access to the courts. It is the outcome of the anti-people and anti-working class people attitude that Government has not yet brought before the House this Bill. The case for legal aid is so obvious that it does not have to be supported by arguments. The Preamble of our Constitution speaks about justice, political, economic and social and equality of status and of opportunity to all. Article 14 also provides that the State shall not deny to anybody the right to equality before law and equal protection before law. Article 22 also lays down that no citizen shall be denied this right to consult and to be defended by legal counsel of his choice. All this means that all Parties to a proceeding must have an adequate opportunity of access to the Court.

Equal opportunity and equal protection before law and access to the courts depends on payment of court fees and other incidental costs and pleaders' fees also. It is not just and fair to ask the majority of the people to pay for it when they do not have adequate means to bear the cost. Thereby, justice is made unequal, and this injustice, instead of being lessen-

ed, has increased and is increasing day by day. In so far as a person is not able to obtain access to the court for his justice it is injustice. Therefore, a comprehensive provision for legal assistance is necessary and it is State's duty to provide legal assistance to the poor so that there can be equality of opportunity in search of justice in the court.

So far, this right has been denied to a vast majority of the people, while litigation, Justice has become a costly and delayed affair, and the procedures and processes involved in securing redress under the law are neither simple nor quick nor cheap. Moreover. a large number of cases in the High Court arise out of writ petitions filed by citizens against arbitrary decision of the proliferating bureaucracy. The absence of a system of legal aid can, therefore. only mean that, whereas the well-to-do are able to protect themselves against State tyranny, the poor are obliged to allow their cases to go unchallenged and unheard. Legal aid is, therefore, a necessary obligation on the part of Government.

The Law Commission's recommendation is that the service of a pleader assigned by the State should be made available to every person accused of an offence, so that in all trials poverty may not stand in the way of adequate defence in proceedings which may result otherwise in the end of liberty, property, life and loss of reputation and yield prolonged sufferings and cause distrust in impartiality and fairness of justice.

Apart from criminal and civil cases there are many other cases also in which the poor need legal assistance. Implicating the working class people, namely the poor labour, peasants etc. in false cases has become a common practice all over India, especially in West Bengal with some of the rich people who are able to secure police help. Civil litigation to harass the people who assert their right is not uncommon or rare in India.

There are also cases where the employers engage the best lawyers and take steps to crush the trade

unions of the workers. There are also cases of eviction of share-croppers and small peasants from their land and looting of the yields by big jotdars and landlords with the help of the police. It is the responsibility of the Centre and the State to make the courts easily accessible by eliminating court fees, incidental litigation costs and pleader's fees and also transport costs, and by reforming the judiciary system.

No doubt, there will be a financial burden on Government. But if arts. 14 and 22 are to be made meaningful and concrete, there is no alternative and a comprehensive provision should be included in Criminal as well as Civil procedure Codes which need drastic reformation and revision.

श्री बी० ग्रार० शुक्त (बहराइच) : मैं इस बिल का स्वागत करता हं। किसी भी स्वतन्त्र और कल्याणकारी देश में नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि उसे बिना किसी शुल्क के न्याय मिले। हमारे यहां जब ब्रिटिश साम्प्राज्य था तो न्याय का विभाग भी एक टैक्स के विभाग के रूप में काम करता या और उसका धर्य यह हम्रा कि न्याय इस देश में बेचा जा रहा था। जब तक कोर्ट फीस न दी जाये तब तक किसी को सिविल कोर्ट में न्याय नहीं मिल सकता। धीरे-धीरे म्रब तो यह प्रणाली भीर मजबत हो गई क्योंकि हर साल प्रदेश सरकारों ने कोर्ट फीस में निरन्तर विद्व की है। जिस तरह महंगाई बढ़ती जाती है, ग्रावश्यक वस्तुन्नों के दाम बढ़ते जाते हैं उसी तरह में कोर्ट फीस की शरह भी राज्यों में गढ़ती जाती है। यह बड़ी भयंकर भीर भयावह स्थिति पैदा हो गई है।

जहां तक मौजूदा सिविल प्रोसीजर कोड का सम्बन्ध है उसमें प्रावधान है कि जो निर्धन हैं श्रीर जिनके पास कोर्ट फीस ग्रदा करने के लिये साधन नहीं हैं, बिना कोर्ट फीस ग्रदा किये वे ग्रदालत में नालिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी सरकारी बकील जा करके इन फार्मा पापरिस की जो एप्लीकेशन होती है उसका भो विरोध करते हैं ग्रीर उसमें कई महीने लग जाते हैं। उसमें उसको न्याय नहीं मिल पाता । दूसरी स्रोर सिविल कोर्ट में जो मुफलसी के दावे हैं इनकी सोमा बहत सीमित है। इस वक्त भारत भर में रेवेन्य लिटिगेशन बहुत है । ज्यादा तर गरीब ब्रादिमयों का सम्बन्ध रेन्वेन्य कोर्टस से है। वहा मुफलसी की दफा जो ब्रार्डर 33 है जाब्दा दीवानी की वह उसमें नहीं लाती। हम भली भांति जानते हैं कि जो ब्राज हजारों भ्रीर लाखों की संख्या में काश्तकारी की जमीन के बारे में मकदमें लड़ते हैं, वेदखल होते हैं, उनकी जमीन पर लोग कब्जा कर लेते हैं. ऐसे लोगों के लिये गरीबों के लिये कोई साधन उपलब्ध नहीं है कि वे ग्राने मुकदमों की पैरवी कर सकें। ग्रब प्रश्न यह उटता है कि किस किस प्रकार के खर्चे मुकदमों में होते हैं। एक कोर्ट फीस का है। वह उनके लिये है जो किसी ग्रदालत में मद्दई बन कर नालिश करने जाते हैं। यह उन लोगों पर खर्चा लाग् नहीं होता जो मुकदमों की जवाबदेही करते ट्र, श्रर्थात प्रतिवादी की शकल में जाते हैं। लेकिन कानुन दिन ब दिन इतने पेचीदा होते जाते हैं कि भ्रदालत चाहे जितनी होशियार हो जब तक कोई एडवोकेट या वकील किसी पार्टी की तरफ से जा करके भ्रदालत का ध्यान विवादित वस्तु के ऊपर न दिलाये तब तक **भ्र**दालतें न्याय करने भें भ्रक्षम हैं। चाहे जितना भच्छा उनका इरादा हो भौर चाहे जितनी वे घदालतें निष्पक्ष हों लेकिन उनका समझाने के लिये यह जरूरी है कि कोई वकील, बैरिस्टर या एडवोकेट जाये जो उन्हें मुकदमों को सही रूप से समझा सके। जो लोग आते हैं वे ऐसे होते हैं निके पास साधन नहीं वकील नहीं रख सकते । ग्राप जरा मुफस्सिल ध्रदालतों में जा कर देखिये, जाडे के दिन हैं, उनके पैरों में जते नहीं हैं, मैले-कूचैले वस्त्र हैं, खाने के लिये उनके पास कोई भी चीज नहीं है भौर वकील, एडबोकेट बगैरह फीस लिये काम नहीं कर सकते, मन्त्री की फीस, वकील के

[श्रीबीं० ग्रार० शुक्ल]

क्लर्क का मेहनताना देने में भी असमर्थ हैं, उन पर बड़ा तरस ग्राता है। लेकिन जब कोई ग्रादमी पेशा करता है तो वह निर्मम हो जाता है, बड़ी सख्ती से फीस वसूल करना · चाहता है ।...

श्री मुक्त चण्द डागा (पाली) : यह ग्राप का पर्सनल ग्रनुभव है।

श्री बी० ग्रा:र० शुक्त : हमारा जो अनुभव है, हम चाहते हैं कि आप भी उसका म्रनुकरण हैं। मैं निवेदन कर रहा था--उन पर बड़ा तरस म्राता है, उनको भोजन देना चाहिए, रहने के लिये जगह देना चाहिए, लेकिन वहां तो फीस भी कोई नहीं छोड़ना चाहता है। इस लिये मेरी दृष्टि में सरकार का यह प्रारम्भिक ग्रीर ग्रनिवार्य दायित्व है कि र्ऐसी व्यवस्था न्याय के क्षेत्र में करे जिस से कि हर ब्रादमी को जो साधन-सम्पन्न नहीं है, जो निर्धन है, मुफलिस है, उस को बिला-किसी फीस के, बिला-किसी-खर्च के न्याय मिल सके।

ग्रव जहां तक फीजदारी कानून का ताल्लुक है---ग्रभी ग्रभी जो दण्ड प्रकिया संहिता कुछ दिन पूर्व हम ने पारित की है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि प्रदेश सरकारें यदि चाहें तो फौजदारी के मुकदमें में बगैर-फीस के वकील की सहायता दे सकती हैं। लेकिन जाब्ता दीवानी का क्षेत्र बहुत ही सीमित है, रेवेन्य कोर्ट स के लिये इस वक्त जो "इन्फौर्मा-भौपेरिस" का विधान है, वह भी इस में लागु नहीं होता है, इस लिये इस में भी ऐसा अवस्य किया जाय।

फाइनेन्शल मेमोरेण्डम में लिखा गया है कि इस पर 10 लाख रुपये का रेकरिंग बार्च है। मेरा ख्याल है कि यह अनुमान मलत लिया गया है, खर्चा इस से भी ज्याचा हो सकता है।

लोग चाहें तो इस के लिये जितना प्रावधान रखा गया है, जिस शक्ल में रखा है जिस शब्दावली में रखा है, चाहे हम उस से सहमत न हों, उस की छानबीन कर के उस को कारगर तरीके से रख सकते हैं। लेकिन जहां तक इस के पीछे मूल उद्देश्य, मूल भावना का प्रश्न है, उस का मैं समादर करता हूं, पूर्ण समर्थन करता हं भ्रीर में समझता हं--सरकार यदि इस रूप में इस बिल को स्वीकार न करे तो भी इस बात का पूर्ण ब्राश्वासन दे कि म्रविलम्ब इस सदन में ऐसा विधेयक लायेगी, जिस से इस बावश्यकता की पूर्ति हो सके।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, डा॰ कर्णी सिंह जी ने गरीब नागरिकों को निःशुल्क कानुनी सहायता देने के सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया है और जिस पर हम लोग यहां बहस कर रहे हैं, मैं इस का जोरदार समर्थन करता हं। इस तरह का कानून तो स्वयं सरकार को लाना चाहिए था। 25 वर्ष देश को आरजाद हुए हो गये, फिर भी सरकार ने इस तरह की कोई पेशकदमी नहीं ली । यद्यपि मरकार लोक-कल्याणकारी राज्य की बात करती है ग्रीर इस से भी ग्रागे जा कर समाजवाद लाने की बात कहती है। अगर इन का कहना ईमानदारी का है और ये सचमुच देश में गरीवी को मिटाना चाहते हैं, गरीबों को ऊंचा उठाना चाहते हैं. जो बहत ऊपर चले गये हैं--बड़े बड़े धन्ना-सेठ, उन की नीचे लाना चाहते हैं तो कम से कम गरीबों को काननी सहायता तो दीजिये। इस विभ्रेयक के जरिये डा० कर्णी सिंह जी ने क्या मांग की है ? इन का कहना है कि जिस व्यक्ति की मासिक मादनी 200 रुपये या उस से कम है ग्रीर वार्षिक ग्रामदनी ज्यादा से ज्यादा 2400 रुपये हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिस पर मुकदमा चलाया जाय या जिसे मकदमे में जाना पड़े, उसे कानूनी सहायता बी जाय।

सामाजिक न्याय का यह सब से प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि म्राप उन्हें म्रपने पांव पर खड़ा कीजिये । देश में जो कानून बने हए हैं, ये मुख्यतया धनी लोगों का बचाव करते हैं, मख्यतया जिन के हाथ में सम्पत्ति है--करोडों, लाखों, भरबों रुपये की-वही लोग भाज के बने हए कानुनों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहां जो शासन व्यवस्था है, यह पूंजीवाबी व्यवस्था है, देश को पूजीवादी घेरे में रख कर सरकार भागे बढ़ना चाहती है। यह पंजीपति-वर्ग की हकुमत है, इस लिये इन का कानून भी उन्हीं के हक़ में इस्तेमाल होता है, गरीबों के हक में नहीं। लेकिन सदन या बाहर के ग्रान्दो-लनों से सरकार को कभी कभी जनता के पक्ष में कानुन बनाने पड़ते हैं, संशोधन करने पड़ते हैं। ग्रभी हम लोगों ने सी० ग्रार० पी० सी० को पास किया है, शायद उससे कुछ सहलियतें गरीबों को मिल सकें, लेकिन वास्तव में उन कानुनों के इस्तेमाल से गरीब वंचित रह जाता है, उस के सामने अनेकों कठिनाइयां ब्राती हैं। मैं किसानों के बीच में जाता हं--- ब्राज खेतीहर मजदूरों को हमारे मुबे में बड़े पैमाने पर जमीनों से मार कर भगाया जा रहा है । विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जो जमींदारी प्रया में ग्रभी भी विश्वास करते हैं या जमीन का बटवारा नहीं करना चाहते हैं, वे इन गरीबों को खदेड़ रहे हैं। कहीं किसान-मजदूर संघ वना कर खदेड़ रहे हैं, कहीं हरा-झण्डा लेकर खदेड़ रहे हैं तथा उनकी हत्या कर रहे हैं। वे यदि मुकदमे में जाते हैं तो उन के पास साधन नहीं हैं। शुक्ला जी ने ठीक ही कहा है--- ठण्ड के दिनों में उन को बदन को ढकने के लिये गमछा भी नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है. लेकिन वकीलों को फीस नहीं बेंगे तो मुकदमा विलक्त हार जायेंगे या उन के मुकदमे की कोई भी पैरवी करने वाला नहीं होगा । मेरे पास लोग ब्राते हैं-कहते हैं कि हमारी मदद करवाइये। हम लोग उन की क्या मदद करें। उन के पास खाना भी नहीं है तो वकील की फीस कहां से बेंगे। आज फीस पर भी कोई बन्दिश नहीं है।

जो वकील जितना चाहता है उतना वसूल करता है ग्रौर जितना ही ग्रच्छा वकील होगा, उस की फीस भी उतनी ही ग्रच्छी होगी। जो मामुली वकील होगा, उस की फीस कम होगी। लेकिन कम फीस वाले को अगर कोई गरीव रखता है तो निश्चित है कि वह मुकदमा हार जाता है, उस की जमीन, उस के बांस की झोंपड़ी भी उस के हाथ से निकल जाती है। यह मैं अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव में देख रहा हूं, इस तरह की बातें हो रही हैं। जब ग्राप ने कानून में इन के हक़ में कुछ सुधार किया है, तो आप इन को कानूनी सहायता भी दीजिये, वकील की फीस दीजिये, जरूरी काग-जात दिलवाइये। वकील की फीस को बांधिये. जो चाहे जितनी फीस ले, यह नहीं होना चाहिए यह बड़ा अप्च्छा सुझाव है। समाजवाद की बात तो जाने दीजिये। न आप के कहने से समाजवाद ग्राने वाला है ग्रीर न मेरे कहने से। वह तो किसान, मजदूर और गरीब जनता अपने संघर्ष के जरिये, अपने संगठन और एकता के जरिये ले ग्रायेगी। ग्रभी तो ग्राप इतना ही कीजिये कि, जो कल्याणकारी राज्य की बात ग्राप कहते हैं. महात्मा गांधी की बात कहते हैं. सत्य ग्रीर ग्रहिंसा की बात कहते हैं, गरीबी को मिटाने की बात कहते हैं. गरीबों को न्याय मिले. हरिजन, ग्रादिवासियों ग्रौर पिछड़े लोगों को न्याय मिले । ऐसा ग्राप भी कहते हैं, तो फिर इस को मानने में ब्राप के सामने क्या कठिनाई है ।

मैं जानता हूं--ग्राप इन के 16 ग्राने हक में कानून नहीं बनायेंगे, वह कानून तो जब नई समाजवादो व्यवस्था हिन्दुस्तान में स्थापित होगी, तब बनेगा। लेकिन सभी कम से कम इस विधेयक को स्वीकार कीजिये और यदि चाहे तो इस विधेयक को ग्रीर ग्रश्चिक व्यापक बना कर सदन में ले ब्राइये ताकि गरीव समझे कि कम से कम हमारे मुकदमों में सरकार मदद दे रही है। ज्यादातर गरीब मुकदमे हार जाते हैं। उन का पक्ष न्याय का होता है लेकिन भ्रन्यायी जीत जाता है। भाज न्याय बिक [श्री रामावतार शास्त्री]
रहा है, पैसे वाला न्याय खरीद रहा है. ब्लैकमार्केटियमं, चोर-बाजारी करने वाले. बड़े
धन्ना-सेठ, जोंक की तरह हमारा और ग्राप का
खन चूसने वाले न्याय खरीद रहे हैं। उस को
रोकने के लिये यह मामूली प्रयास है। हम तो

रोकने के लिये यह मामूली प्रयास है। हम तो समझते हैं कि 2400 रूपये की जो मोमा है वह ग्रागे बढ़ाई जाती। लेकिन ग्रभी ग्राप इतना ही मान जाइये ग्रागे फिर हम देखेंगे कि ग्राप क्या करते हैं।

इन शब्दों के साथ मुझे विश्वास है कि सरकार इसको स्वीकार करेगी और शासक दल के सदस्य भी इसका समर्थन करेंगे तथा आज 14 तारीख तो इस बिल को पास करके इस लोक सभा में एक नथा उदाहरण पेश किया जायेगा।

भी ज्ञिवनाच सिंह (झुंझन्) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य डा॰ कर्णीसिंह जी ने जो लीगल ग्रसिस्टेंस विल पेश किया है उसकी भावनाओं का मैं पूर्णतया समर्थन करता हं लेकिन बिल की जो क्लाजेज हैं उनसे मेरी सहमति नहीं है और उसके सम्बन्ध में मैं बाद में निवेदन करूंगा । वैसे जिस भावना से यह बिल लाया गया है उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं भीर डा० कर्णीसिंह जी इस प्रकार के क्षेत्र से स्राते हैं जहां पिछडापन है, जहां गरीव लोग रहते हैं तथा मुझे भ्राश्चर्य है कि डा॰ कर्णीसिह जी ने उन गरीबों की तड़पन कहा अनुभव कर ली वैसे मुझे खुणी है कि उन्होंने अनुभव कर ली और इतने दुखी हैं। म्राज हम देखतें हैं कि हमारे देश में लिटीगेन्ट पब्लिक की क्या स्थिति है। उन्होंने इसमें सिविल लिटीगेन्ट्स के लिए वहा है। ग्राज

कोर्ट स में कोर्ट फीस देनी पड़ती है, प्रोसेस फीस देती पड़ती है. ग्रगले ग्रादमी को समाचार देने के लिए किराया भी देना पडता है और उसके बाद डियो होती है तो एग्जीक्युशन फीस भी देनी पड़ती है, ग्रटैचमेन्ट करने के लिए रूपया देना पड़ता है तथा जब भाक्शन होता है, सेल होती है तो उसकी भी फीम जमा करनी पड़ती है। ऐसी ग्रवस्था में ग्राज लिटोगेशन इतना महंगा हो गया है कि स्राम स्रादमी की पहुंच के बाहर की बात है। लेकिन उसके लिए इसमें कोई प्राविज्ञन नहीं है। बाद में जो खर्चा होता है कानुनी राय के लिए उसमें सिविल लिटीगेशन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन्स के बाद देने की बात ग्रापने रखी है। मैं उससे सहमत हूं ग्रौर ग्राप से तथा इस सदन से निवेदन करूंगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूपये पैसे की कमी की वजह से ग्रपने ग्रधिकारों से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि ग्रभी णास्त्री जी ने कहा, हम देखते हैं कि जो ब्रादमी बा-ब्रसर हैं समाज में वे ब्रगर सिविल का केस हो तो किमिनल रूप में लाकर 107 का इस्तगासा या 145 व 407 का झूठा इस्तगासा कर देते हैं ताकि वह व्यक्ति ग्रपने राइट्स के लिए ग्रपना केस भ्रदालत में न लड़ सके, वह भ्रपने राइट्स का प्रोटेक्शन न कर सके बल्कि उनके दबाव में म्राकर उससे कम्प्रोम।इज कर ले । इस प्रकार से वह व्यक्ति ग्रपनी प्रापर्टी से ग्रपने ग्रापको तो वंचित करता ही है, साथ ही अपनी भागे ग्राने वाली कई पीढियों को भी उससे वंचित कर देता है। इस तरह से एक गरीब ग्रादमी को ग्रपने खेत से वंचित होना पड़ता है, ग्रपने मकान से बंचित होना पड़ता है भीर यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारा लिटीगेशन

का जो प्रोमेस है वह बहुत मंहगा है। इस सिलसिले में अगर गरीब ब्रादिमियों को कुछ मदद मिल जाये तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए।

आज हमारी वेलफेयर स्टेट में यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें लिटीगेशन की गुंजायण ही न रहे । वह स्टेज तो जब आयेगी तब हम उसका स्वागत करेंगे लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति है उसमें जो गरीब लिटीगेन्ट पब्लिक अदालत के खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती है उसको हम लीगल आसस्टेन्स के रूप में या किभी भी रूप में सहायता दें ताकि वह अपने राइट्स का प्रोटेक्शन कर सके ।

मैं दो तीन बातें कहकर समाप्त कहंगा । डा॰ कर्णीसिंह जी ने शायद इस बात को नहीं समझा है लेकिन इसमें एक दूसरा पहलु भी है। एक सामंती घर में पैदा होने वाले श्रीमान जी नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, इसकी मार्फत लीगल प्रोफेशन को हम नेशनलाइज कर रहे हैं। मैं उनके इस विचार का, चाहे वह छिपे रूप में ही हो, समर्थन करता हूं। जिन क्लाजेज से मेरी सहमति नहीं है उनके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें ग्राप ने सिर्फ सिविल बिलटीगेशन के लिए प्रावाइड किया है। इसके अलावा रेवेन्य लिटीगेशन है और किमिनल 'लिटीमेशन है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे किमिनल प्रोसीजर कोड में हम ने प्रावधान रखने की चेष्टा की है लेकिन उसको स्टेट गवर्नमेन्ट्स रखे यह जरूरी नहीं है क्यांकि किमनल प्रोसीजर कोड में 107 का इस्तगासा है या 14 म का है, 447 का है, इस प्रकार के ज्यो छोट भोटे मुकदमे हैं उनके लिए कोई

प्रावधान नहीं है। मैं मानता हूं यह विल पान नहीं होगा। (ब्यवधान) फिर भी इस रूप में हम इसका समर्थन करते हैं। जब वोटिंग का समय आयेगा तो सरकार का उत्तर सुनने के बाद हम देखेंगे कि हमारा हृदय-परिवर्तन होता है या नहीं और उसी पर वह निर्भर करेगा। इसमें मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस प्रकार का अगर कोई विल पास होना है तो उसमें किमिनल, सिविल और रेवेन्यू—नीनों आइटम्स को साथ रखा जाये।

इसके म्रतिरिक्त इसमें भ्राप ने स्कोतिंग कमेटीज के लिए रखा है । हम समझते हैं स्कोतिंग कमेटी की एक म्रड्चन लगाकर भ्राप गरीव स्रादमी को झंझट में छोड़ देंगे । स्कीतिंग कमेटी के सदस्यों को भी उसे रिज्यत देनी पड़ेगी क्योंकि भ्राज एक गरीब म्रादमी म्रदालत में जाता है तो उसे चपरासी भीर महलकार को रिज्यत देनी पड़ती है । इसलिए स्कीनिंग कमेटी की बात भ्राप छोड़िये । जिसकी भ्रामदनी 2400 रुपये से कम हो उन सभी को लीगल भ्रसिस्टेन्स मिले ।

प्रन्त में मैं पुनः इस बिल का समयंन करते हुए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हम इस सिद्धान्त की भोर चले कि हमारे यहां लिटोगेशन कम हो और लिटोगेशन कम तभी होगा जबकि जहां तक सम्भव हो सके प्राइवेट प्रापर्टी कम हो. क्योंकि जब तक प्राइवेट प्रापर्टी का झटैचमेन्ट रहेगा तब तक लिटोगेशन होता रहेगा। इसलिए इस बात की भोर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए तथा बेलकेयर स्टेट को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के प्रावधान रखे जाय जिनसे गरीबों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके।

श्री द्वार वी० बडे (खारगोन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डा० कर्णी सिंह जी ने जो बिल यहां पर रखा है मैं उसका समर्थन करता हं। लीगल एड के बारे में जब यहां पर एडवी-केटस बिल ग्राया था तो नरकार की ग्रोर में कहा गया था कि हम एक काम्प्रहेंसिव विल लायेंगे लेकिन ग्रभी तक वह बिल नहीं श्राया है। इस बिल में जो लीगल ग्रसिस्टेन्स की बात है वह सिर्फ सिविल सुट्स के लिए है। क्रिनिनल सुट्स के लिए नहीं है इसलिए मैं सम झता ह किभिनल सुटस के बारें में भी हमको विचार करना चाहिए ब्रिटिण राज्य के पहले न्यायदान होता था। बादशाह स्राता था दरबार में , स्रभियुक्त की पुकार की जाती थी और उसके मामले की सुनवाई की जाती थी। लेकिन उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट फीस का कानुन पास कर दिया। पहले कोर्ट फीस ढ़ाई रुपया सैकड़ा थी, फिर सात रुपए सैकडा हो गई और अब दस रुपये सैकडा हो गई है। सी पी आई के मेम्बर ने कहा कि पूरा ला जो है वह कैंप्टेलिस्ट है। एक्यूब्ड जो होता है उसको तो हम इन्नोसेंट मानते हैं और डेफेन्डेन्ट के ऊपर वर्डन आफ प्रफ होता है। हमारे गांवों में जो छोटे-छोटे स्रादिवासी होते हैं वे तो केवल स्रंगुठा लगाते हैं स्रौर उनको पता नही रहता कि कितना पैसा है और फिर बर्डन स्राफ प्रुफ उनके ऊपर स्ना जाता है। इस प्रकार से उनके ऊपर डिग्री हो जाती है। इसलिए में समझता हं ला मिनिस्टर साहब को ऐसा प्राविजन रखना चाहिए कि कोर्ट फीस फ़ी कर दी जाये।

दूसरें इस बिल में यह रखा गया है कि
जिनकी श्रामदनी 2400 रुपये यानी दो सौ
रुपये पर मंथ की होगी उनको फी मदद की
जाये लेकिन उसके माथ साथ कितने श्रादिमियों
का कुटुम्ब हो, जैसे किसी श्रादिमियों
का कुटुम्ब है तो उसके लिए इसमें
कुछ नहीं लिखा है। तो इसमें यह एक डेफेक्ट है
लिंक्न झागे जब हम डिटेल्स में आयेंमे तब इसको
ठीक किया जा सकता है। पापर सुट में

जिसकी 100 रु० की इन्कम न हो या जिसके पास कोई प्रापर्टी न हो उसको पापर माना जाता है। इसके लिए एविडेन्स ली जाती है और अगर उसमें साबित नहीं होता है तो फिर उसे कोर्ट फीस देनी पड़ती है।

हमारे मध्य प्रदेश स्रादिवासियों को मदद करने के लिए फी लीगल एड दी जाती है। जो प्रतिवादी आते हैं हम एप्लीकेशन दे देते हैं कोर्ट में कि यह गरीब आदमी है इसको फी लीगल एड दी जाती । लेकिन इसमें होता यह है कि वह एप्लीकेशन कलक्टर साहब से पटवारी के पास जायेगी, वहां से फिर तहसीलदार के पास जायेगी और फिर जाकर कलक्टर के पास ग्रायेगी । ग्रगर कलक्टर कह देना है। ती उसको फी लीगल एड मिल जायेगी लेकिन तब तक कोर्ट स्टे के लिए तैयार नहीं होती है। तो जो की एड है वह हरिजनों और ब्रादिवासियों को दे देनी चाहिए। लेकिन माथ ही माथ पहले प्लेंटिफ को या डिफोन्डेन्ट को देनी चाहिए क्यों कि प्लेंटिफ कहेगा कि मेरे को मिलनी चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं सुट दायर करना चाहता हं। उसको भी देनी चाहिये, डिफेंडेंट भी कहेगा कि मैं भी गरीव ह श्रौर मुझे भी पैमा मिलना चाहिये। प्लेंटिफ भ्रौर डिफेडेंट दोनों को पैसा या एक को देना है इसका भी विचार विल में नहीं किया गया है।

जो बिल रखा गया है वह अपूर्ण बिल है। उसकी भावना जो है वह बहुत ही उत्तम है भीर उसके बारें में किसी का मतभेद नहीं हो सकता है। शासन भी इससे इन्कार नहीं कर सकेगा। शासन कहेगा कि हम एक काम्प्रहेंसिव बिल लाएंगे। लेकिन कितनी देर में लायेंगे इसका संकेत भी मिलना चाहिये। लीगल एड कमेटी की रिपोर्ट भाई है या नहीं, इस पर भी प्रकाश नहीं डाला गया है।

एमिकस क्यूरें की लिस्ट कोर्ट में रहती हैं। लेकिन इस में नए वकील हैं होते हैं। ग्रव तो मईर केस होते हैं उन में कोई नए वकील को करता नहीं चाहता है। उन मैं से किसी एक को रख दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि अच्छे वकीलों की लिस्ट होनी चाहिये और बादी और प्रतिवादी को यह ग्रधिकार मिलना चाहिये कि वे उस में से ग्रपनी मर्जी के किसी वकील को छांट लें। वहीं वकील उनको मिल

जाना चाहिये।

यह जो प्राविजन है इसका मैं भी भीर मैं समझता हूं कि ला मिनिस्टर भी स्वागत करेंने कि कोर्ट फीस को तो कम से कम कर दिया जाये । अब सवाल पैदा होता है कि यह जो खर्चा होगा इसको कीन सहन करेंगा । पंचायत में जो दावे होते हैं वहां पंचायत में से खर्चा दिया जाता है । अब पंचायत को पैसा कौन देगा ! मैं चाहता हुं कि सेंटर और स्टेट बोनों को इस में कांट्रीब्यूशन देना चाहिये ।

इन गब्दों के माथ मैं फिर से इस बिल कास्वागत करता हूं।

श्री यमना प्रसाद मण्डल (समस्तीपूर) : उपध्यक्ष महोदय, डा० कर्णोसिह जी ने गरीबों के हितों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विल सदन में रखा है ग्रीर इसका मैं स्वागत करता हं। 22 करोड़ लोग भारत में पावर्टी लाइन से, गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं शौर फिर उनकी ज्ञामदनी बीस रुपये है। उनके पास ग्रगर होम-स्टेट लैंड भी हो तो वहां जो साहकार होता है जो बडी-बडी सुद की दर पर रुपया देता है शाइले कियान वे में. वह यही चाहता है कि उनको वहां से निकाल दिया जाए। कई मेरे मिल्रों ने कहा है कि मार्च 1973 में गोखले साहब ने राज्ये सभा में श्राश्वासन दिया था कि इस तरह का बिल लाएंगे । मैं समझता हं कि गोखले साहब बहत जल्दी एक पूर्ण बिल लाएंगे और इस बिल में जो भ्रपुणता है उसको दूर करके नए ढंग

का बिल वह लाएंगे। मैं इस विल का स्वागत करता हूं।

सी पी एम के एक सदस्य ने और सी पी आई के श्री शास्त्री जाने संघर्ष की बात चलाई है। मैं उत्तर विहार से आता हूं। मैं कहूंगािक वे गरीबों के विरुद्ध गरीबों को लड़ाते हैं और उनकों हजारों की संस्था में ले जाकर गरीबों के झोंपड़े जलाते हैं. उनकों लूटते हैं और ला एंड आईर को एक दम विशंखल कर देते हैं। वे चाहते नहीं हैं कि गरीबां को इंसाफ मिल सके (इंटरर्श्व) आप तो काफी बोल चुके हैं, आप तो अपनी बात कह चुके ह और अब मैं जब बोल रहा हूं तो आप बाधा डाल रहे हें, यह ठीक नहीं है।

मैं अधिक समय नहीं लगा। गोखले साहव से मैं यही निवेदन करूंगा कि सत्यता को देखते हुए यह एक सही कदम होगा और वैलफेयर स्टेट तथा सोशलिस्ट पैटन के अनुरूप होगा अगर वह एक नया बिल लाएंगे जोकि पूर्ण हर दृष्टि से हो। मैं डा॰ कर्णीसिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार को मौका दिया है कि वह सफाई कर सके और अपनी बात को सदन के तथा देश के मामने रख सके।

SHRI P. G. MAVALANKAR (Ahmedabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I wish to congratulate very warmly my esteemed friend, Dr. Karni Singh, who has brought forward this Bill. I also admire the tenacity with which he has been bringing this matter, again, and again, before this August House.

I am particularly glad that the Bill should have come from Dr. Karni Singh from whom nermally one would expect that he would plead for the causes of the rich or the big people. But he has come out in support of the need for legal assistance and aid to the poor people

[Shri P. G. Mavalankar]

I hope, the Minister of Law who is sitting here will find it possible to accept this Bill. I am sure he will say at the end that Government warmly endorses his laudable objective, but since they are shortly bringing their own Bill Dr. Karni Singh may withdraw his Bill.

I am reminded of a very notable Bill and I am sure you, Mr Deputy-Speaker, knowledgeable as you are, would also recall the great occasion when an independent Member of the House of Commons, Sir Allen P. Herbert, had moved a Private Member's Bill in the British House of Commons dealing with the law of marriage and divorce and it was one of the rare occasons in Britain-because all the time is Government time for legislation that it want into the Statute Book. Lt was initiated by a private Member, Mr. A. P. Herbert. He has written a very fascinating book entitled 'the Ayes have it' in which he des cribes how through various stages as a lone independent member of the House of Commons he fought his way and got the Government agree to the Bill. Why not repeat that rare occurrence here sometimes, and let Dr. Karni Singh have the distinction of piloting a Bill and also gettng it passed; let that become a part of the Statute Book.

The hon, members who preceded me have already well said that the demand for free legal assistance to the poor is in tune with the needs and aspirations of the vast millions of our people. I do not have to tell this House that both our Constitution as well as the conventions laid down with regard to the functioning of our democratic republic make it not only important and necessary but almost obligatory that we proceed as speedily as possible in the direction of making every word of the Preamble of the Constitution, the Chapter on Fundamental Rights and the Chapter on Directive Principles of State Policy a reality. If you look at the Preamble of our Constitution.

it starts with four basic concepts: justice, liberty, equality and fraternity; but justice comes first. Unless there is some amount of equality, unless there is sone kind of economic equality, unless the gap between the very rich and the very poor is reduced, as far as possible, to the minimum, how can we expect this justice being made available as a matter of right or as a matter of natural course to the largest number of people who are poor? So, Sir, in respecting the wishes of the Preamble, the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy of our Constitution, which talk in terms of a welfare State, may I say that this Bill is in tune with all those laudable principles?

During the last 25 years or more of our independence, what is offered to our citizens on paper-not only in this matter but in a number of other matters also is not brought to reality or is not made available in actual practice. What is offered on paper must be made available in actual practice. For example, take the question of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Every day we are hearing so many problems, protests, complaints, and unfortunate news that they have been harassed; cruelties are being perpetrated on them. But nothing happens. If you want the poor and ordinary people to feel that they belong to the new Democratic Republic, if you want them to have the feeling of involvement with the processes of democracy, then you must see to it that you go ahead as early as possible with making these things available to them at an early date.

Only a few days ago, in this very Session, references were made to Justice P. N. Bhakawāti's report—Justice P. N. Bhakawāti's report—Justice Of Gujarat High Court. I was glad to hear from the Government that the Government have found that report very valuable and they have also found the 400-page report of Justice V R Krishna Iyer's Committee on legal aid very valuable. The Minister

assured us that Government were going into them very minutely, carefully and meticulously and that they would bring a Bill very soon. But I doubt whether that Bill would come during this Session. The next Session is a Budget Session when there is hardly any time for legislation. Then it will get postponed to the Monsoon Session. These are not things which can be Postponed from one Session to another. We must give a certain priority. Here I am reminded of one dictum of the last left wing socialist leader of England, Mr. Aneurin Bevan. Mr. Bevan used to say, 'Unless you think and talk in terms of certain priorities, you cannot really proceed with democratic and socialist institutions. Mr. Bevan, in his book entitled In Place of Fear has said:

"The language of priorities is the religion of socialism."

The language of priorities is the religion of socialism. Now if the Government is talking about socialismwe are happy that they are talking of socialism-and we want them to usher in real socialism in the country, let us have those priorities and socialism properly looked into and properly implemented. Therefore, I want to suggest that this problem is very important and a certain degree or priority must be given and the Government need not go on extending the limit.

I want to briefly suggest that the need for assistance to the poor people is all the more great because to-day there are far too many regulations and legislation on the statute gazette, etc. and everywhere there is so much of legislation and the situation is that even an educated and a well-informed man and even a man with resources cannot just afford to go to the law courts because (a) he does not understand what those laws are, (b) even if he understands, understands them through the experts and (c), these experts demand a very high price. Therefore, even a rich 2725 L.S.-11.

man cannot understand and afford. So, I want to suggest that this matter of free legal aid is a point which requires to be looked into and it is one of the real corner-stones of a welfare State. Like having a free health programme, why not make legal assistance also free at least to the poor?

My last point is: because it is free and free in terms of legal aid as well as legal advice, we must see to it that it does not become inadequate in terms of quality. In our country some things are free; take for example, primary education. It is free. But how many of us send our children to those primary schools? The late Dr. Manohar Lohia used to say that only when the President and the Prime Minister send their children to those primary schools, then only they will be considered the best schools. Because it is free, nobody wants to send their children there and the qualityconscious people do not send their children there. Therefore, in making the provision for free legal aid, please see that the quality is also established.

With these words, I hope that Art. 14 of the Constitution will be made reality by my good friend, Gokhale and his colleague, as early as possible.

भी स्वामी बह्यानन्दजी (हमीरपूर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने सवाल है कि गरीबों को न्याय मिले। परन्तु मैं सोचता हं कि उब तक भ्रमीर रहेंगे. तब तक गरीबों को न्याय कैसे मिल सकता है। अब तक खटमल भीर मच्छर रहेंगे. तब तक लोगों का स्वास्थ्य कैसे ग्रच्छा हो सकता है ? ग्रगर हम कहें कि हम पाव भर दूध बढ़ा देने हैं लेकिन खटमल भीर मच्छर दगने न्हेंने. तो वे लोगों का खुन पी लेंगे। अब तक पंजीबाद है भीर बड़े लोग हैं, जो ग़रीबों का शोषण करते हैं. तब तक गरीबों का भला नहीं हो सकता है। ग्राखिए बड़े लोग कव चाहेंगे कि ग़रीबों के लड़कों के साथ उनके

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जो]

लड़के पढ़ें ? मैंने तो यहां तक देखा है कि अगर कोई साधारण आदमी बगल में बैठता है. तो बड़ा आदमी मुंह फेर कर बैठ आता है।

मेरी समझ में नहीं भ्राता कि कौन वकील मुक्त वकालत करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि अब तक हमारे देश के वकील खुटम नहीं होते हैं. और न्यायालय खुटम नहीं होते हैं. तब तक यहां कुछ होने बाला नहीं है।

मुझे अनुभव है कि एक वकील अपने मुविकित को कोई झूठ वात कहने के लिए सिखा रहा था। मुविकित ने कहा कि यह तो झूठ वात है। वकील ने कहा कि क्या हिण्डिचंद्र का बटा बना है, तुमको यह बात कहनी पड़गी, कानून ही ऐसा बना है।

एक वकील के कुत्ते ने एक गंवार का घी खा लिया। वह गंवार लट्ट लेकर पहुंच गया और कहा कि मेरा नुकक्षान पूरा करों। वकील ने कहा कि ठहरों, मैं फैसला कर देता हूं। उसने उस व्यक्ति से फ़ार्म ब्रादि भरवा लिये और फिर पूछा कि घी कितना था। उस व्यक्ति ने कहा कि दो किलो। वकील ने कहा कि घी गिर गया और कुत्ते ने खालिया, मेरे कुत्त ने जो घी खाया है, उस के लिये पांच रुपये ले लो, लेकिन इसके साथ ही मेरी फ़ीस के बीस रुपये दे दो, व्योंकिमैंन नुम्हारों केस लिया है, नुम्हारे लिये वकालत की है।

जब तक वकीलों की बीमारी देण में से नहीं हटती है, तब तक देण का कल्याण नहीं होने बाला है। मैं अपने जिले में देखता हूं कि वकील काले भूतों की तरह घूमते हैं वे जिस के पीछे लग जाते हैं, उस को खा जाते हैं।

यहां पर भी वकील हैं। पण्डित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपतराय भी बकील थे। हमारें कई नेता वकील रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने वकालत छोड़ी, तभी व ऊपर भ्रायें। ग्रगरवें वकील बने रहने, तो देश के लिए कछ न कर पाते। वकीलों की तो वही स्थिति है कि दिन भर सन्यासी और रात को गृहस्थी। वे दिन भर तो अदानतों में अध्टाचार और रिश्वत के अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। और यहां कहते हैं कि अध्टाचार और रिश्वत को खत्म किया जाये वे पूछते पर वे कहते हैं कि वकालत तो हमारा पेशा है।

आज देश में गल्ला है. लेकिन लोग भूखों भर रहे हैं। कपड़ा है, लेकिन लोग सर्दी में ठिठुर रहे हैं। अध्यापकों को तन्ख्वाह नहीं मिलती है. इसिन्ये वे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं।

इसलिये इस व्यवस्था की बदकता पड़ेगा। अंग्रेजों के जमाने में जब तक मुखिया किसी रिपोर्ट पर दस्पखत नहीं करता था, तब तक थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। आज यह का तून है कि जो चाहे, किसी नाम से, थाने में रिपोर्ट लिखा आये और मुकदमा चलेगा। होना यह चाहिये कि रिपोर्ट ल्लाक प्रमुख के पास जाये और वह उस को थाने में भेजे। पुलिस पंचायत धौर जिला परिषद के अधीन रहनी चाहिए और कलेक्टर को राज्यपाल की तरह काम करना चाहिए। सारा काम जिला परिषद करें। उस के मेम्बर मुकदमें करें। अदालतों की कोई ज रूरत नहीं है।

एस्टीमेट्स कमेटी में बताया गया कि वन विभाग से सम्बंधित एक बोर्ड के यहां से तीन साल से रिपोर्ट नहीं आई। कोई काम नहीं हुआ। लूट का माल खाने का धंधा बना हुआ है। उस से गरीबों का कोई हिन नहीं होता है। जिस के पास एक बन्दूक हैं. वह छोटा डाकू है; जिसके पास दस बन्दूकें हैं. वह बड़ा डाकू है: लेकिन जिस के पास दो लाख बन्दूकें हैं, वह राजा है। यदि किसी सरकार से जनता का हित नहीं होता है, जो वह सरकार भी डाकू है। अगर हम गरीबों का हित नहीं कर पाते हैं, तो जैसे डाकू मिल कर खाते हैं, वैसे ही हम भी मिलकर खाते हैं, हम को भी 51 राये रोज मिल जाते हैं। हमें यह देख कर बड़ा दुख होता है कि कोई काम नहीं करना चाहता है।

श्रजबार वाले भो मे रे भावगी *हो। बार* स्थान देते हैं, क्योंकि अखबार बिड़का और

टाटा के हैं स्रौर मैं हमेशा उन की पड़ काटने

का प्रयत्न करता है। इसी तरह रेंडियों भी मेरो बातों का प्रसारण नहीं करते हैं। लेकिन

मैं "सर्वम् सल्विदं ब्रह्म" के सिद्धान्त में विश्वास करता हूं। भगवान सब में व्यापक

है। मेरी स्रावाज भगवान तक पहुंचनी है स्रौर इस लिए सब लोगों तक भी पहुंच जाती है । ग्रगर देश में गरीबों का उद्धार नहीं होता है

तो रूस की तरह लोग यहां भी खुनी कांति करेंगे श्रौर हकमत को बदल डालेंगे। गरीबों का हित

तभी होगा, जब पुंजीवाद समाप्त होगा।

श्री नाथुराम ग्रहिरवार (टीकमगढ़):। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उस को स्वीकार करने ग्रौर कार्यान्वित करन में क्या काननी ग्रड-चनें आ सकती है, यह तो कानून मंत्री बतायेगे,

लेकिन माननीय सदस्य की मंशा का में हदय से समर्थन करता हं, क्योंकि उन के जिल में सबसे बड़ी बात यह है कि गरीकों को फी लीगत एड दी जाए।

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब हरिजनों और अवि विसियों को राहत देने के लिए एक कानुन बनाया है। उन में से जिन लोगों ने साहकारों से कर्ज लिए हुए हैं, उन से हल चलवाया जाता है। ग्रगर किसी ग्रादमी

ने सौ रुपये का कर्ज लिया हम्रा है, तो उस के नाती और पोते को भी हल चलाना पड़ता है। वह कज कई पेढियों तक चलता ह ग्रीर बढता रहता है। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, ग्रगर वह साहकार का काम करना छोड़ दे, तो साहकर उस

पर मकदमा चलाता है । मध्य प्रदेश सरकार ने जो कानुन बनाया है, उस के अपनुसार जब वह हरिजन या ग्रादिवासी दावे का जवाब देगा, तो उन महदने को कलेक्टर की कोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया जएगा। कलेक्टर यह हिसाब लगाएगा कि उस व्यक्ति ने कितना

काँम किया है और कितना वैपा होता है:

16.59 hrs. [SHRI K. N. TIWARY in the Chair]

उस पर जर्नाना होगा।

अगर साहकार ने कोई ज्यादती की है, तो

32

मैं निवेदन करना चाहता हू कि ग्रमर इस प्रकार का कानन सभी राज्य सरकारें बना लें, तो गरीबों को राहत मिल सकती है। माननीय सदस्य ने कहा है कि जिन लो ष

की ग्रामदनी 2400 रुपये तह है, उन को फी लीगल एड मिलनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि हमारे देश में 40 फ़ीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे है, जब कि मध्य प्रदेश में, जहाँ हरिजन ग्रौर ग्रादिवासी, जनसख्या

का एक-तिहाई भाग है, लगभग 70 फ़ोसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे है। तो ऐसे लोगों को लीगल एड देने की बात जब हम करते हैं तो मेरा त्री सुझाव सब से बड़ा यह है कि अगर आप वकील को करा रहेंगे तो वह पसे की तरफ दौड़ेगा। आज वकील किस का है? जिस के पास पसा है: आज

श्राप किसी भी कोर्ट में चले जाएइ, बाबू जो श्राप को पेशी तक नहीं सुनाएगे, तारीख तक नहीं सुनाएगे जब तक पांच रुपा उन की जेव में न पहुंच जाए? वह पूछते हैं लाग्रो कुछ है चाय-वाय क लिए ? ऐसी दशा में मैं तो कहता ह कि वकील के पैश को खर्त कर के ग्राम पंचायत ग्रौर न्याय पचायतों को कायम करें। जो महात्मा गांधी का सपना था देश में पचायत राज्य

स्थापित कीजिए ।जितने भी ग्राप के पलिस

न्याय किस कों मिलता है ? जिस के पास पसा है।

स्टेसनों हों वह न्याय पचायत के प्रधीन हों भ्रौर जो हमारे जन प्रतिनिधि हों, ग्राम प चायतों के सभापति हों वह थानेदारों की रिपोर्ट करें कि यह गलत है कि वा भ्रच्छा है। वरना **ब्राप इधरजनता को ब्रधिकार देतेज, र**ेहें लेकिन उस के हाथ में कुछ नहीं है। घर द्वारा ग्राप का लेकिन दरवाजे के भीतर पैर न रखना

म्राप ने जनता को म्रधिकार दिए कि ग्राम पचयात मालगजारी वसूल करें, न्याय पचायते मकदमे करें, लेकिन ग्रधिकार वास्तव में कुछ

बहीं है।

[श्री ना गुराम ग्रहिरवार]

17 hrs.

तो मेरा कहना तो यह है कि ये जो वकील हैं। स्राप ने मुरत सिंह स्रीर माधव सिंह को गोली मारी, उन को गिरफ्तार कर के म्राप ने सब डाकुम्रों को हाजिर कर दिया क्योंकि उन्होंने बड़ बड़े कि ते बनाए, पैसे लटे. लेकिन क्या ग्राप के ये वकील नहीं लटते हैं ? ये कामन से पैसा लेते हैं, वड़े बड़े महल बना लेते हैं, इन को तो कोई टैक्स नहीं लगता। कोई इनकम टैक्स लगता है इनको? कभी नहीं पृष्ठा जाता , जितनी चाह फीस हो क्या ये कभी हिसाब देने हैं? तो ये भी जनता का शोषण करने बाले हैं। जब तक समाज में यह ग्रासमनता रहेगी, तब तक गरीबों का भला कैसे हो सकता है। इन्ही के लड़के जा कर जज बनते हैं क्यों कि इन को पब्लिक स्कलों में जगह मिलती है। इन के एक एक लड़के के ऊपर तीन मौ चार सौ रुपये पब्लिक स्कलों में खर्च कर दिए जाते हैं जब कि ऐसे एसे परिवार हैं जिन का पुरे परिवा रका खर्चातीन सौ चार सौ रुपये नहीं है। तो वह कहां से समानत। मंग्रा सकते हैं। ग्राप उन को बराबर फी लीगल एड दे. उस से भी उन का भला नहीं हो वकता है। मध्य प्रदेश सर-कार ने यह कर के देख लिया। वहां पर वह फी लीगल एड भी देते हैं लेकिन गरीब आदमी वहां तक ग्रा रही पाता । उस के पास किराये के लिए पैसे नहीं होते। स्राज हम देखते हैं कि उन की जगह पर एन्क्रोचमट होता है। सरकार उन को जमीन दे रही है वह चाहती है कि उन को जमीन मिले। उनका जनी पर पटटा है: लेकिन पैसे वाने पटवारियों को पैसे दे कर ग्रप ।। कब्जा उस पर चार चार साल पहले से लिखा लेते हैं क्यों कि पैसा उन के पास है। जब गौके पर जाते है तो वह लटठ लेकर खड़े होते हैं। कलेक्टरी में तहसील में जाते हैं वह गरीब म्रादमी कि हमारी मदद करो. लेकिन कौन करें?

ऐसी दशा नें में चाहता हू कि इस कानून की मंगा बहुत ग्रच्छी है, सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में एक कांप्रीसेलिव बिल लाए। वास्तव में बेलफेयर स्टेट की सरकार का यह कर्तब्य हैं कि देश के लोगों को एक स्वस्थ प्रशासन दे सके। जो जनता की आकांक बहुत सदियों से हैं कि हमारे हित में काम होने बाला है, उस की पूर्ति के लिए और उम की भलाई के लिए के एसा कानून हम को लाना चाहिए जिस से गरीब आदिमयों का शोरण बच सके और जो पंजीपित हमारे देश में हैं उन को यह मौका न मिल कि वह गरी हों को लुटे।

श्री मन चन्द्र इत्ा(पीली) : सभा-पति, जी, दिल से तो हम हरक इन्सान में परमात्मा को देखते हैं, लेकिन दिमाग से किसी चीटी को ग्रपना रोटी का टकडो देना भी नहीं चाहते। बार-बार इस प्रकार का बिल का ग्राना, 1948 में रिपोर्ट ग्राप के पास पेण हो जाना ग्रीर उस के बाद कितनी ही बार रिपोर्ट का पेश हो जाना, इस सब से ग्राखिर क्या पता चलता है। 1950 के बाद कितनी बार आप के सामने यह बात ब्रा चकी है, ला कमीशन ने रिपोर्ट दे दी , भग-वती कमीशी ने देदी ग्रीर मेरे ख्याल से ग्राप ने भी ग्राश्वासन दे दिया। यह धीरे धीरे चलने बाले लोग कभी किसी स्थान पर नहीं पहचते । यह तो ग्राप एक कदम ले लीजिए या उस की विदद्दा कर लीजिए कि हम नहीं कर सकते । हम लोग कभी-कभी बार बार बात करते हुए उस काम को करने नहीं है। हम कहते रहते हैं ? हर एक आदमी कहता रहता है कि हिन्दुस्तान में हमें कल्याण-कारी राज कायम करना है तो गरीबों को मदद देनी होगी भीर मदद के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार रिपोर्ट ब्राई है ब्रौर इस रिपोर्ट को अगर आप पढेंग्रे तो मालुम होगा कितने साल पहले यह आई है। मिनस्टर जास्टिस भगवती---

"The then judge of the Bombay High Court considered the question of grant of legal aid in civil and criminal proceedings to poor persons, persons of limited means and

326

persons belonging to backward classes and to make recommendations for making justice more easily accessible to these persons.

"This Committee went exhaustively into the question of legal aid and made a detailed report in October, 1949.

"That report is perhaps the most informed study that has been so far produced in India on this subject.".

1949 के बाद स्रव कितता सरसा हुन्ना है वह स्नाप जानें। इस के बाद ला कमीशन ने सिफारिशें मान लीं: उन्होंने यह सिफारिशें मानी, मैं शार्ट में कहना चाहंगा:—

"We summarise our recommendations on legal aid as follows:

- (1) Free legal aid to the poor persons and persons of limited means is a service which the modern State and in particular a welfare State owes to its citizens. The State must, therefore, accept this obligation and make available funds for providing such legal aid to poor persons and persons of limited means.
- (2) The legal profession must in the main, if not entirely, accept the responsibility for the administration and working of schemes of legal aid. This responsibility should be discharged by the profession by organising and by serving on bodies which will render legal aid and representing in courts poor persons or the payment of only a proportion of the fees payable on taxation."

में सारी रेकमेंडेशन न पढ़ कर श्राप मे यह कह रहा हूं कि यह जो तारीका हम लोगों का है कि हम लोग बराबर उम को चलाने चले जाते हैं, 25 साल, 20 साल बीत जाते हैं श्रीर मंत्री महोदय ने भी श्रभी राज्य सभा मे उन्तर दिया कि हमारे पास रिपोर्ट श्रा चुकी है श्रीर उस रिपोर्ट के श्राधार पर यह उन का जबाब है: प्रशन था —

"Whether the committee on legal aid to the poor has since submitted its report to the Government?

Shri H. R. Gokhale: Yes Sir, the salient features of the report are these."

So, he has already applied his mind to that report and he has come to the conclusion that these are the salient features of the report.

हिन्दुस्तान के अन्दर हमें 25 साल तक इस बात को कहते रहे और उस का इम्प्ली-मेंटेशन न हो तो यह जिम्मेदारी किस की है ? यह जिम्मेदारी कुछ तो हम लोगों की जो कम-जोरी है उस की है ? हम बार-बार कहते हैं, कितनी कमेटियां बैठती है. कितना खर्च इस पर होता है ग्रीर सब लोग इस बात को कहते हैं कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, ब्रदालतों में उन की जीत होती है जिस के पास पैसा होता है, लीगल सर्विस उस की मिलती है जिस के पास साधन हाते हैं स्रोर यह तो मंत्री महोदय हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह तो बहत बड़े न्यायाधीश रहे है वह जानते हैं कि होता क्या है? ग्रभी ब्रह्मानन्द जी वकालत पर पूरा हमला कर रहे थे, पूरी वकील जाति को ही खराव बता रहे थे. उन की भावना ग्रच्छी थी. लेकिन उन का मतलब यह नहीं था। मगर में म्राप से यह प्रार्थना करता हूं कि स्नाप इन की कोई टाइम लिमिट करिए, कोई ट.गेंट डेट रख दीजिए। हम ग्राप से एक चीज ग्राज मांगना चाहते हैं कि ग्राप कोई तारीख फिक्स करिए कि इस तारीख तक गोखले साहब अपनी रिपोर्ट और भ्रपना नया कान्न बना कर पेश करेंगे।

एक बात में यह कहना चाहता हूं कि लोगल भ्रासिस्टेंट के मुताल्लिक 1971 का यह उन्होंने बिल पेश किया है यह तो मेरे ख्याल में कानूनी बारीकियों को देखा जाए तो कहीं टिक नहीं

[श्री मूल चन्द डागा]

सकता क्यों कि इस में न कोई डिफिनीशन हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी किस को कहते हैं, न की डैफिनिशन हैं कि पूजत किस को देखिए, देखिये कहते हैं। इसलिए बिल की तरफ आप भत बिल पेंश करने वाले की भावना की तरए तरफ देखिए। इसके अन्दर उन्होंने जो लिखा है नाटविदस्टैंडिंग एनीचिंग कंटेन्ड इन तो 24 रुपये पाने वाले की एनक्वायरी कौन करंगा? स्क्रीनिय कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी की डेफिनिशन क्या है? कीन मेम्बर होगे उस के? क्या क्वालीफिकेशन उन की होगी? फिर आप ने कहा—

"There shall be set up a series of screening committees of legal advisers at different levels of administration."

तो यह जो बिल पेश हुआ है इस के लिए तो किसी से उन्होंने सलाह ली नहीं। उन की भावना की तो मैं कदर करता हूं। लेकिन मेरे ख्याल से इस बिल को वह विदड़ा कर लें। उन की बड़ी तारीफ होगी और मिनिस्टर साहब यह आश्चासन दे दें क्यों कि यह हम जरूर चाहते हैं कि अगले बजट सेशन में गे. खले साहब का बिल आ जाना चाहिए और वह बिल पास होना चाहिए।

श्री पन्नःताल बारूपाल (गंगादगर): समापति महोदय, ग्रभी माननीय सदस्य डां० कर्णी सिंह जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उस का समयंन करता हं। जहां तक कान्नी खामियों की बात है, मैं तो कोई लायर नहीं हूं। लेकिन विल की जो भावना है, वह शुद्ध है, गरीबों ग्रीर जिनकी को हालत खराब है, उन को न्याय दिलाने की बात कही गई है, मैं ग्राप से निवेदन करना चाहंगा कि हमारी भारत सरकार स्रौर राज्य सरकारों ने पहले ही यह व्यवस्था कर रखी है--संविधान के द्वारा कि ग्रादिम जाति ग्रौर भनस्-चित आति के लोगों का लीगल एड दी जाए। लेकिन उस में कितनी दोष है, वह मैं बताना चाहता है। वह जो लीगल एड दी जाती है उने में डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा विकील

नियुक्त किया जाता है, वह वकील इतना अनुभवहीन होता है, न उसको कोई तर्जुवा होता है, न कोई जानकारी होती है और न वह किसी विशेष कानून को जानता हैं। ऐमें भादिमयों को सस्ता देखकर नियुक्त कर दिया जाता हैं — उन को राज्य की और से कुछ पैसे दे देते हैं। ऐमें वकीलों से गरीबों के मुकदमें लड़ाये जाते हैं — दूसरी भोर उस के सामने वाले पैसे वाले होते हैं? साधन सम्पन होते हैं, वे भच्छे वकील रखते हैं और इस तरह उन को न्याय नहीं लेने दिया जाता।

लेकिन एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हं - मैं घपने अनुभव से कह रहा ह--संविधान का उद्देश्य यह है कि भादिवासियों भीर अनुस्चित जातियों के उद्घार के लिए उन की ग्राप मदद करें, लेकिन संविधान में एक प्रावधान रखा है, वंज्याओं का भी कत्याण किया जाए। नतीजा यह हम्रा कि एक जगह पर अनुसूचित जाति में और वैश्याओं में झगडा इस लिए हो गया कि वे एक जगह पर कुछ ऐसे कार्य कर रही थी और दूसरे लोक सभ्य विचारों के ये ---- वे चाहते ये कि यह धन्धा-यहां से हट जाए तो हमारी बस्ती के ऊपर उस का ग्रसर न पड़े तो जो हमारे वकील साहब थे, उन को क्लैक्टर से पैसा मिल गया. लेकिन जैसा संविधान में प्रावधान दिया गया है, वे वकील साहब उन की तरफ से वकालत करने लगे।

जैसे रेकेन्यू का मामला है, फौजदारी का मामला है, दूसरे मामले हैं, हर वकील हर बात में माहिर नहीं होता है । मेरा यह निवेदन हैं कि ग्रादिम जाति, ग्रनसूचित जाति या हरिजनों के लिये ही नहीं, बल्कि भारतक्यं के ग्रन्थर चाह का हुण हो, राजपूत हो, सिख हों, ईसाई हो, जिन की ग्राधिक स्थिति खराब है, जो मूकदमे को नहीं लड़ सकता है, उस की मदद की जानी चाहिये। ग्राफ कर सकता है, यस कि नार सकता है, जिस के पास पैसा है, वह ग्रच्छे वकील को करके न्याय ले सकता है, वह ग्रच्छे वकील को करके न्याय ले सकता है,

है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस के अन्दर जाति-भोद के दायरे को छोड़ कर उस की आर्थिक स्थिति को देख कर मदद की जाय ।

मैं प्रशिक नहीं कहना चाहता हूं—्स्स .बिल पर बोलने वाले बहुत बड़े-बड़े लाय जें .हैं, इस लिये मैं गोखले साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस को स्वीकार करें या न करें, लेकिन इतनी बात जरूर है कि डा० कर्णी सिंह जी जो बिल लाये हैं, में उस का समर्थन करता हूं, इस बिल की भावना बहुत अच्छी है ।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE); I want to make a brief reply because there is no question of making any argument against the spirit of the Bill. In fact, I want to congratulate Dr. Karni Singh on having brought this Bill and focussed the attention once again of the House and of people outside to this very urgent and important question.

I also agree with what Shri Daga just now said when he closed his speech that this problem has been hanging fire for a considerably long time and a measure to implement the scheme of legal aid is now long overdue.

I had mentioned earlier in answer to certain questions in both Houses that a legal aid scheme, in order to be effective, has to be comprehensive and it is not enough to say that by giving or supplying legal assistance by providing lawyers to litigants the function of the scheme of legal aid is discharged. It has got to be far more comprehensive than the mere provision of lawyers to litigants. Screening, which of course is indirectly contemplated in the Bill, and finding out who is the litigant who deserves free legal aid from the state is also necessary, for which a full organisation has got to be set up.

This is an amendment proposed to the Civil Procedure Code. I assure the hon, member that a full-fledged measure, not only on the legal aid part, not only on the part dealing with paper suits, but a full-fledged measure dealing with the procedure in civil courts, is now ready. fact I wanted to introduce it in this session of Parliament. I could not do it for want of time, but I assure the hon. Member that a full-scale amendment of the Civil Procedure Code which includes provision legal aid as well as provision respect of paper suits will undoubtedly be introduced in Parliament in the next session. But that again will not be a complete answer to the question which Dr. Karni Singh has posed, because, merely an amendment for the provision of lawyers, as I said, is not the answer to the question of the necessity of legal aid. That is why some months back I requested Mr. Justice Krishna Aiyar of the Supreme Court to head a committee along with the assistance of social workers, lawyers, women's organisations and others to participate in the deliberations of the Committee to examine the whole question on a comprehensive of legal aid to be established all over India, beginning from the courts right up to the highest court in the land, namely, the Supreme Court. That report has been received recently, and I can assure the House that our examination of the report is nearing completion. In order that the report to the extent to which we will be implementing it, should be properly implemented, money has to be found both from the Centre as well as from the State Governments, and the implementation has to a large extent be left to the State administration. As hon Members are aware, the administration of justice under Constitution is a State subject. Therefore, while I have come to my conclusion that legislation on legal aid can be brought within the competence of Parliament, the administration of legal aid as part of the administration of justice has, to a certain extent to

[Shri H. R. Gokhale]

be left to the various States where the legal aid is to be administered.

This is a good Bill in spirit, but it is not comprehensive enough. It does not give the necessary and elaborate machinery for implementing legal aid which we are seeking to provide in the scheme which, I assure the hon. Members, we will bring as early as possible.

So far as the Civil Procedure Code is concerned, it will be introduced in the next session of Parliament. I will give that assurance to the hon. Members. In view of the assurance on both the points, firstly, the amendment Bill of the Civil Procedure Code will be introduced in the next session -it is I think a positive assurance as it can be, which means, not later than the next session—and secondly, Committee presided over by Mr. Justice Krishna Aiyar has given us the report. I request the hon. Member to withdraw the Bill. We have completed the examination of the report of that Committee; we are in touch with the various aspects of the recommendations which have to be implemented, and we will get into touch with the State Governments. necessary, we will call the Ministers to come here and deliberate with us and we will obtain concurrence. I hope that we will be able to implement most parts of the scheme which has been recommended by the Krishna Aiyar Committee. may take the House into confidence in this matter.

Mr. Daga has mentioned that in answer to a question in the Rajya Sabha, I had generally given the various points which are referred to in the report of the Krishana Aiyar Committee. But the scheme has laid particular emphasis on assistance to Harijans, on assistance to Scheduled Castes, on assistance to Scheduled Tribes, on assistance to the working classes in labour matters, and on assistance in revenue matters to the

agriculturists and the farmers. Therefore, I said that the Civil Procedure Code will only assist the litigants who go to the civil courts. Therefore, it is a small part of it. But today, most of the litigation which touches the common man, namely, the farmer and the labourer, is outside the jurisdiction of the civil courts. The farmer, the agriculturist, the peasant,-they have disputes in the revenue courts where the Civil Procedure Code does not apply. Labour disputes are being. fought out in the industrial tribunals and labour courts where the whole of the Civil Procedure Code does not apply but only some sections of it are made applicable.

So, while I agree that Dr. Karni Singh's Bill is useful, it is not the end of it, and therefore, in view of the magnitude of the whole matter, and the need to have more elaborate and comprehensive scheme, and in view of the assurance that I have given, while I congratulate him for having brought this measure before the House. I would request that he may withdraw it.

DR KARNI SINGH: Mr. Chairman, Sir, first and foremost, I would like to express my gratitude to the hon. Members who have given their unstinted support to my Bill. I am also grateful to the hon. Minister across for having accepted in principle the fact that a Bill like this is necessary and that something must be done very soon so that the sufferings of litigants, especially the poorer classes, are removed once and for all.

I would like to assure the hon. House that as a Member of this august body, it is never my intention or desire to take any credit for anything done. In fact, I would rather that the country never knew that I introduced this Bill, as long as something similar was done to the poor man to be helped.

The question today before all of us in this House is, how the people of our country may be made happy.

Whether Mr. X or Y or Z is responsible for coming with a Bill is of less consequence than the results. Therefore, I am glad that all sections of this hon. House have supported this Bill in principle and the hon. Minister has come forward with an assurance that the Bill would be introduced, a very comprehensive Bill, in the next session. I would presume that one assurance is also there, that whatever Bill is introduced will in no way be less beneficial to the poor litigants than my own Bill.

SHRI H. R. GOKHALE: Ι make it clear that the Bill that is coming in the next session is not confined only to legal aid provisions, because it is a comprehensive amendment to the Civil Procedure Code. As the hon. Member knows, legal aid is not only giving aid by way of giving a lawyer to the litigant. The long delays, the procedural bottlenecks, the hierarchy of appeals from court to court and the time it consumes etc.-all contribute to a great degree of expenditure in courts and cutting that down would partly meet problem. The Bill is far more comprehensive. The Krishna Iyer Committee's Report is more comprehensive and benefits are far more than the ones contemplated in this Bill.

DR. KARNI SINGH: I am grateful to the hon. Minister for the clarification that he has given. I should like to say something about the Bills introduced by Members of the Opposition in the past. I have burnt my fingers by having agreed to withdraw Bills on Government assurances, but they have never been implemented. I moved a Bill to give free and compulsory education for children under 14 years and an assurance was that something on these lines would be introduced. I withdrew the Bill, but we are still exactly where we started. I introduced a Bill for unemployment relief giving dole as in England, America and other countries. 1 withdrew that Bill, but no Government Bill came, and millions of

unemployed in this country are suffer-Similarly I have introduced many socialist Bills like old age insurance, social security etc., but they have not yet been done. I introduced a Bill on the Rajasthani language. I had gone to the Prime Minister and she said she would like to see ways and means of solving the problem of languages in the country. On that assurance I had withdrawn my Bill. I was very much misunderstood by the people of my constituency and they asked me: why did you withdraw the Bill. I said; we had an assurance from no less a person than the Prime Minister. Yet almost a year or more has gone by and nothing has happened. When assurances of this type are given, millions of people are interested and involved and let us not be so particular as to whether a Bill camefrom the Opposition or from the Government benches. Let us try to make them happy. If people are happy, whether it is the Opposition or the Treasury benches, we have achieved our goal and we can justify that Parliament is functioning for the benefit of the people.

Mr. Daga said something about screening committees. These technical matters. I think you will be in a much better position to through this when a comprehensive Bill is put forward. I would only like to point out that the assurance that you would bring this in the next Budget session may kindly be kept. There is-far to much suffering among the poor. I see poor farmers coming to me because I am a Member of Parliament and they ask me: can you help us? We try to get lawyers for them and help them in whatever little way we can. But this is a big problem which the Government will have to take upon themselves. The hon. Member Mr. Mavalankar said that priorities have to be considered. I think that is a vital point. In our country Bills are introduced every day. Government should realise that matters which require top priority should be passed first and matters [Shri H. R. Gokhale]

which are frivolous and are only votecatching can be passed latter. Therefore, this Bill in my opinion is of a very high priority. Since the minister says he will introduce it in the budget session, let us hope that he will be good enough to keep his promise. With that, thanking all my brother members for their support and thanking the Minister for his categorical assurance, I would seek the permission of the House to withdraw my Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to Dr. Karni Singh to withdraw the Legal Assistance Bill."

The motion was adopted.

DR. KARNI SINGH: I withdraw the Bill.

17.27 hrs.

REMOVAL OF DISPARITIES AND CONCENTRATION OF WEALTH BILL

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for removal of large disparities in wages and for removal of concentration of wealth by converting big industrial and business concerns into cooperatives managed by all for all, be taken into consideration."

I fully justify the bringing of this Bill on a vital issue. It is also revolutionary in character. The object of the Bill is removal of disparities and concentration of wealth. A majority of the Indian people are living below the subsistance level. They do not have even the minimum basic necessities of life. It is relevant to quote some paper cuttings which are revealing and also disheartening. The Times of India dated 8th August. 1973

says man fights dog for food", as happened in Bangalore recently:

"First, dog fights dog for the leftovers dumped into garbage bins. Then, man fights dog in a scramble for what is considered food—cooked and uncooked bones, meat, onion peels, rotten potatoes and vegetables."

This is the plight of the people who are suffering without the basic necessities of life. The people can be seen in various parts of the country struggling for survival. Apart from the agricultural and industrial backwardness of the country, there are huge disparities in wages, and wealth has been accumulated in the hands of a few. It has been recently said that the income on which tax was evaded during 1968-69-black money-can be estimated at Rs. 1400 crores. This is revealed by an enquiry committee report. The approach document to the Fifth Plan reveals that between 40 to 50 per cent of the population, i.e. 220 million people were estimated to be poor. The object of my Bill is to attract the attention of the Government so that some immediate action may be taken in the matter. Far-reaching and very useful provisions have been made in this Bill. This Bill does not provide for any take-over of any industrial or business concern, thereby attracting a conflict with the Constitution. It only says that the entire concentration of wealth, which is above Rs. 5 lakhs, controlled by larger business houses, should be converted into cooperative societies and the entire ownership should be, as a first measure, in the hands of the people and the people should mould the destiny of such undertakings.

The assets of the 20 larger industrial houses in the country increased by more than 54 per cent between 1964 and 1968 according to a survey conducted by the Research and Statistical Division of the Company Affairs Department. The larger industrial houses were classified as such by the Industrial Licensing